आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी और तारीख
25.10.2019	**न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णिया** **सी0सी0ए0 वाद संख्या-110/2019** **अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत** **राज्य** **बनाम** **अपराधकर्मी मो0 चाँद आलम** **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** के **7056/सी0आर0, दिनांक 12.09.2019** के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी **मो0 चाँद आलम, पिता-मो0 जफीर आलम, सा0-माधोपाड़ा लूट मोहल्ला, थाना-के0 हाट सहायक, जिला-पूर्णिया** के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरूद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी **मो0 चाँद आलम, पिता-मो0 जफीर आलम, सा0-माधोपाड़ा लूट मोहल्ला, थाना-के0 हाट सहायक, जिला-पूर्णिया** एक कुख्यात एवं आदतन अपराधकर्मी है। इनका एक संगठित गिरोह है, इनकी गतिविधि काफी संदिग्ध है। वर्त्तमान में ये जेल से बाहर हैं। इसकी गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। **इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-** 1. **के0 हाट सहायक थाना कांड संख्या-553/2017 दिनांक 09.08.17, धारा-379 / 411 भा0द0वि0।** 2. **के0 हाट सहायक थाना कांड संख्या-540/2017 दिनांक 04.08.17, धारा-379 / 411 भा0द0वि0।** 3. **के0 हाट सहायक थाना सनहा सं0-127/2019 दिनांक 04.09.19** 4. **के0 हाट सहायक थाना सनहा सं0-143/2019 दिनांक 05.09.19** इस वाद में विपक्षी द्वारा दिनांक 18.10.19 को कारणपृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वर्णित है कि काण्ड सं0-553/17 भूलवश दर्ज हुआ था। काण्ड सं0-540/17 में विपक्षी का नाम नहीं है, बल्कि पुलिस द्वारा शक के आधार पर इस वाद में लाया गया है। सनहा सं0-127/19 एवं 143/19 भी पुलिस संदेह के आधार पर दर्ज किए हैं, जिसमें उनका उद्देश्य है कि विपक्षी को संगीन अपराध में फंसाया जा सके। विपक्षी की उम्र 19 वर्ष है एवं	

पढ़ाई करता है। पुलिस द्वारा परेशान करने के कारण पढ़ाई छोड़कर न्यायालय में काम करते हैं। विपक्षी के विरूद्ध लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। विपक्षी द्वारा वाद से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

सरकार की ओर से **श्री राहुल राजा, अपर लोक अभियोजक, पूर्णिया** द्वारा बताया गया कि विपक्षी के विरूद्ध दो थाना काण्ड प्रतिवेदित है, जिसमें धारा 379 चोरी तथा धारा 411 चारी का सामान बरामद होने से संबंधित है। साथ ही दो सनहा भी दर्ज है। तद्नुसार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-03 के तहत् इन्हें निरूद्ध करने का निर्णय लिया जा सकता है।

विपक्षी के अपराधिक घटनाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के विरूद्ध दिनांक 04.08.17 एवं 09.08.17 को के0 हाट सहायक थाना काण्ड सं0-540/17 एवं 553/17 दर्ज हुआ है, जो चोरी एवं चोरी का सामान बरामद होने से संबंधित है। तत्पश्चात् विपक्षी के विरूद्ध कोई काण्ड दर्ज नहीं हुआ है। अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 03 के तहत दर्ज सनहा पर अग्रेत्तर कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है।

अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर **मो0 चाँद आलम, पिता-मो0 जफीर आलम, सा0-माधोपाड़ा लूट मोहल्ला, थाना-के0 हाट सहायक, जिला-पूर्णिया** को तत्काल इस वाद से मुक्त करते हुए **थानाध्यक्ष, के0 हाट सहायक** को निदेश दिया जाता है कि उक्त अपराधकर्मी के गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते हुए विधि सम्मत अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति संबंधितों को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।